

निविदा सूचना

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में जॉब बेसिस पर आगार कार्यशाला में वाहनों के मरमत कार्य करने हेतु निविदा।

जालोर आगार कार्यशाला में तकनीकी कर्मचारीयो की कमी के आधार पर निगम वाहनों के मरम्मत संबन्धित निम्न लिखित कार्य वीतीय वर्ष 2026.-27 जॉब वर्क बेसिस कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, निम्नलिखित कार्य के इच्छुक पंजीकृत फर्म/संस्था से जॉब बेसिस पर कार्य करने हेतु बन्द लिफाफा में कोटेशन दिनांक 30/03/2026 को 14:00 बजे तक मुख्य प्रबन्धक जालोर आगार के कार्यालय में मय सिल बन्द लिफाफे में जमा करवाये एवं उसी दिन 15:00 बजे न्युनतम दर वाली रजि फर्म संस्था, को उक्त कार्य हेतु आगामी कार्यवाही हेतु आगारीय कमेटी द्वारा अभिशंषा कर दी जावेगी।

अतः इच्छुक प्रार्थी विस्तृत नियम व शर्तों के लिये मुख्य प्रबन्धक जालोर आगार के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

1 फर्म/ आवेदक:-

2 पंजीयन स. :-

3 श्रमिकों की संख्या (5.से 6 ) मय परिचय पत्र.....

निगम वाहनों के कार्यों का विवरण

- |  |             |
|--|-------------|
| 1-वाहनों के पुराने इंजन/गियर उतार कर आर सी इंजन/गियर लगाना।                        | .....       |
| 2-क्लच प्लेट व प्रेशर प्लेट एव कमानी (आगे-पीछे दोनों)बदली करना।                    | ...../..... |
| 3-टायरो को समय पर रोटेशन करना, पंचर निकालना एव हवा का दबाव सही रखना।               | .....       |
| 4-40.000 कि0मी हेवी डॉकिंग कार्य करना।   | .....       |
| 5-फयुल इंजेक्टर पंप एव इंजेक्टर बदली करना।   | .....       |
| 6-डीजल औसत में सुधार हेतु इंजन ट्यूने अप करना।                                     | .....       |
| 7-काउन -केज असेंबली/वाटर पंप/रेडियेटर असेंबली बदली करना।                           | .....       |
| 8-पावर स्टेयरिंग पंप यथा बॉक्स असेम्बली बदली करना।                                 | .....       |
| 9-इंजन रिपेयरिंग कार्य यथा हैड-गैसकिट, टेपिट-लीवर, रिंग पिस्टन एव लाईनर बदली करना। | .....       |
| 10-इंजन मैन आयल-सील एव स्टेयरिंग ऑयल सील बदली करना।                                | .....       |

कार्य करने कि दर/राशि

शर्त:-निम्नानुसार रहेगी

- 1.फर्म को भुगतान कराये गये कार्यों के प्रमाणिकता के आधार पर ही किया जायेगा, किसी व्यक्ति कि विशेष की उपस्थिति /अवधि के आधार पर नहीं होगा। कार्य हीत पॉच से कम श्रमिक स्वीकार योग्य नहीं होगा।
- 2 प्रत्येक कार्य तीन माह के लिए आवंटित किया जावेगा, फर्म का कार्य सन्तोषजनक होने पर समान शर्तों/दरों के आधार पर आगामी तीन तीन माह के लिए ठेका अवधि को आगे बढ़ाया जायेगा। श्रमिकों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.फर्म द्वारा कार्य नहीं करने अथवा कार्य में अनियमितता होने की स्थिति में पेन्ल्टी होगी।
- 4आगार कार्यशाला परिसर में कार्य के दौरान फर्म के किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की स्थिति में निगम प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। श्रमिक के सा.विश्राम का दायत्व फर्म का होगा,
- 5.फर्म का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15 दिवस के पूर्व नोटिस पर ठेका समाप्त किया जावेगा।
- 6.फर्म के किसी भी श्रमिक को ड्रयुटी पास,निःशुल्क यात्रा पास,पहचान पत्र,अथवा किये गये कार्य का कोई भी प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा।
- 7.फर्म के किसी भी श्रमिक को व्यक्तिगतरूप से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 8.फर्म के किसी भी श्रमिक को आगार कार्यशाला से किसी भी प्रकार का सामान जारी नहीं किया जावेगा टूल्स फर्म द्वारा ही उपलब्ध करना होगा,
- 9.जाब वर्क बेसिस पर कार्य करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए प्राप्त निविदाओं के आधार पर आगारीय कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 10.जाब बेसिस में किये गये कार्य का देयक प्रमाणित कराकर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा।

फर्म/ आवेदक:-

पंजीयन न.....